उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 – 606/2025

विशुनचंद महतो.........................वादी।

बनाम्

संतोष कुमार वगै0 ....प्रतिवादीगण।

आदेश

10.04.2026 वादी की हाजिरी है। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 10.04.2026 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 दफा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि प्रतिवादी सं0 03 अनिल कुमार की मृत्यु दिनांक 06.02.2026 को हो चुकी है। और उनके वारिसान पहले से अभिलेख पर मौजुद है। अनुरोध करते हैं कि न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकृत करते हुए मृत प्रतिवादी सं0 03 अनिल कुमार का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय ताकि मुकदमा में आगे की कार्यवाही हो सके एवं वादी को न्याय मिल सकें।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा समय सीमा के अन्तर्गत है। वाद अभी उपस्थिति हेतु नियत है। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 10.04.2026 अतंर्गत आदेश 22 नियम 04 दफा 151 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय मृत प्रतिवादी सं0 03 अनिल कुमार का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है।

दिनांक– 08.05.2026 वास्ते उपस्थिति हेतू ।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)